न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/02
मुकदमा नम्बर 02/2024

दर्ज दिनांक–02.01.2024

रामूराम पुत्र सुरजा राम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बारवा, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 26.03.2024**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनबाडी में स्थित भूमि खाता सं. 111 के अन्तर्गत खसरा नं. 96 रकबा 1.61 है0 में आवेदक का नाम रामलाल पुत्र सुरजा गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर रामलाल पुत्र सुरजा के स्थान पर रामूराम पुत्र सुरजा राम दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. 230 दिनांक 29/01/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र सुरजा के स्थान पर रामूराम पुत्र सुरजा राम दर्ज व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनबाडी में स्थित भूमि खाता सं. 111 के अन्तर्गत खसरा नं. 96 रकबा 1.61 है0 में आवेदक का नाम रामलाल पुत्र सुरजा जो गलत दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर रामलाल पुत्र सुरजा के स्थान पर रामूराम पुत्र सुरजा राम दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner